कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड / COCHIN SHIPYARD LIMITED कोच्ची / KOCHI - 15

सं/No.PERL/17(28)/2014

तिथि/Date: 26 April 2019

वर्ष 2019-20 केलिए सेवानिृत्त कर्मचारियों के ग्रूप मेडिक्लेम पॉलिसी GROUP MEDICLAIM POLICY FOR RETIRED EMPLOYEES FOR THE YEAR 2019-20

1. वर्ष 2019-20 केलिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ग्रूप मेडिक्लेम पॉलिसी मै. युनाइटड इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड, एर्णाकुलम के साथ नवीकृत किया गया है । पॉलिसी के अनुसार, योग्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों केलिए निम्नलिखित संरक्षण/ लाभ उपलब्ध है :

The Group Mediclaim Policy for Retired Employees for the year 2019-20 has been renewed with M/s.United India Insurance Company Limited., Ernakulam. As per the policy, the following cover/benefits are available to the eligible retired employees:

- i. बाह्य रोगी (ओपी) चिकित्साः फ्लोटर आधार पर 6 व्यक्तियों के एक परिवार यूनिट केलिए एक वर्ष में ₹ 20,000/-तक।
 Out-patient (OP) treatment: Upto ₹20,000/- in a year for a family unit of 6 persons on floater basis
- ii. अंतरंग रोगी (आईपी) चिकित्साः फ्लोटर आधार पर 6 व्यक्तियों के एक परिवार यूनिट केलिए एक वर्ष में ₹ 2,00,000/-तक।
 In-patient (IP) treatment: Upto ₹2,00,000/- in a year for a family unit of 6 persons on floater basis
- iii. सामान्य गंभीर बीमारी ओपी प्रति व्यक्ति केलिए एक वर्ष में ₹1,50,000/- तक। General critical illness OP: Upto ₹1,50,000/- in a year per person
- iv. सामान्य गंभीर बीमारी आईपी प्रति व्यक्ति केलिए एक वर्ष में ₹6,00,000/- तक। General critical illness IP: Upto ₹6,00,000/- in a year per person
- v. अतिरिक्त गंभीर बीमारी ओपी (निर्दिष्ट बीमारी केलिए) : प्रति व्यक्ति को वर्ष में ₹50,000/-तक, जो वर्ष में प्रथम 5 व्यक्तियों केलिए सीमित हैं। Additional critical illness OP (for specified illness): ₹50,000/- in a year per person limited to the first 5 persons in a year
- vi. अतिरिक्त गंभीर बीमारी आईपी (निर्दिष्ट बीमारी केलिए) : प्रति व्यक्ति को वर्ष में ₹4,00,000/- तक, जो वर्ष में प्रथम 5 व्यक्तियों केलिए सीमित हैं।
 Additional critical illness IP (for specified illness): ₹4,00,000/- in a year per person limited to the first 5 persons in a year
- vii. कैंसर केयर ओपी : प्रति व्यक्ति को वर्ष में ₹1,50,000/- तक, जो वर्ष में प्रथम 5 व्यक्तियों केलिए सीमित है।

Cancer care OP: ₹1,50,000/- in a year per person limited to the first 5 persons

- रोंंंं. कैंसर केयर आईपी : प्रति व्यक्ति को वर्ष में ₹ 21,00,000/- तक, जो वर्ष में प्रथम 5 व्यक्तियों केलिए सीमित है।
 - Cancer care IP: ₹ 21,00,000/- in a year per person limited to the first 5 persons
- 2. पॉलिसी में शामिल सभी श्रेणियों के कर्मचारियों केलिए लागू मास्टर पॉलिसी के कुल सदस्यों केलिए 7,50,000 / रुपए का कुल गंभीर बीमारी का संरक्षण एक वर्ष के लिए 4,00,00,000 / रुपए के कॉमन कॉरपस फंड से लिया जाएगा, और कुल अतिरिक्त बीमारी संरक्षण और कैंसर संरक्षण से बढ़कर,

सामान्य गंभीर बीमारी की सीमा एक वर्ष में 1,00,00,000 / - कॉमन कॉरपस फंड से लिया जाएगा । अतिरिक्त गंभीर बीमारी और कैंसर कवर के तहत प्रति परिवार यूनिटों को ऊपर सूचित सीमाओं के साथ पहले 5 व्यक्तियों के लिए कॉमन कॉरपस फंड और अतिरिक्त संरक्षण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सभी श्रेणियों के कर्मचारियों और उनके आश्रितों जो सभी श्रेणियों (सूची पर रहे कार्यपालक, पर्यवेक्षक,कामगार और सेवानिवृत्त कर्मचारियां) के लिए लागू ग्रूप मेडिक्लेम पॉलिसी के अधीन बीमकृत है, को दिया जाएगा ।

The total critical illness cover of ₹7,50,000/- shall be met out of a Common Corpus Fund of ₹4,00,00,000/- for a year and, the total additional illness cover and cancer cover over and above the general critical illness limit shall be met out of a common corpus fund of ₹1,00,00,000/- in a year for the total members of the Master Policy applicable to all categories of employees included in the Policy. The common corpus fund and additional coverage for first 5 persons with aforementioned limits under the Additional Critical illness & Cancer Cover will be on first come first serve basis among all categories of employees and their dependants who are insured under the Group Mediclaim Policy, which is applicable for all categories (executives, supervisors, workmen on the roll and retired employees)

3. अधिकतम छह व्यक्तियां शामिल सेवानिवृत्त कर्मचारियों की प्रति परिवार यूनिट को वर्ष 2019-20 केलिए ऊपर दिए गए बीमा राशि केलिए देय पूर्ण प्रीमियम 38,219 रुपए है।

Full premium payable for the above sum assured for the year 2019-20 per family unit of retired employees covering maximum 6 persons is ₹38,219/-

4. इस संबंध में, कार्मिक एवं प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिनांक 16.01.2015 के पी एंड ए / 18 (175)/ 2009 के अनुसार, संबंधित सेवानिवृत्त चिकित्सा सहायता योजनाओं के अधीन शामिल सेवानिवृत्त कर्मचारी से अनुरोध है कि वे नीचे सूचितानुसार लागू प्रीमियम प्रेषित करें । In line with the Circulars No.P&A/18(175)/2009 dt. 16.01.2015 issued by P&A Dept. in this respect, retired employees covered under the respective post retirement medical assistance schemes are requested to remit the applicable premium, as indicated below.

मौजूदा लाभार्थियों द्वारा भुगतान किए जानेवाले प्रीमियम का विवरण	राशि (रु.)
Details of premium to be paid by the existing beneficiaries	Amt (Rs)
कामगार जो अधिवर्षिता पर दि. 01.04.2007 से पहले या सीएसएल में 15 वर्षों की सेवा के बाद	
वीआरएस/ वीपीआरएस के अधीन सेवानिवृत्त हुए थे।	100.00
Workmen who retired prior to 01.04.2007 on superannuation or under VRS/VPRS after 15 years of service in CSL	
कामगार जो अधिवर्षिता पर दि. 01.04.2007 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे और जैसा भी मामला	\$! V = 2:
हो, एकमुश्त राशि के रूप में, एक बार नामांकन शुल्क के रूप में 50,000/- रुपए या 40,000/-	
रुपए अदा किया हो।	3,822.00
Workmen who retired after 01.04.2007 on superannuation and paid the one time enrolment fee of Rs 50,000/- or Rs 40,000/- as the case may be lump sum	
कामगार जो सीएसएल में 15 वर्षों की सेवा के बाद वीआरएस/ वीपीआरएस के अधीन	
01.04.2007 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे या इस्तीफा दिए थे या एक बार भुगतान केलिए विकल्प	38,219.00
न चुना हो। Workmen who retired after 01.04.2007 under VRS/VPRS or resigned after 15	
years service in CSL or not opted for one time payment	
कामगार जो दि. 01.04.2007 से 01.05.2014 तक के बीच अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए थे,	
लेकिन एक बार के नामांकन शुल्क न अदा किया हो और प्रीमियम के 50% का भुगतान करके	19110.00
योजना में शामिल होना चाहते हैं। Workmen who retired on superannuation between	
01.04.2007 and 01.05.2014 but did not pay onetime enrolment fee and wish to join scheme by paying 50% of premium	
पर्यवेक्षकों और अधिकारियों जो अधिवर्षिता पर दि. 01.01.2007 से पहले या सीएसएल में 15	
वर्षों की सेवा के बाद वीआरएस/ वीपीआरएस के अधीन सेवानिवृत्त हुए थे।	100.00
Supervisors and officers who retired prior to 01.01.2007 on superannuation or under VRS/VPRS after 15 years of service in CSL	

पर्यवेक्षकों और अधिकारियों जो सीएसएल में 15 वर्षों की सेवा के बाद अधिवर्षिता पर	
दि. 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे।	3,822.00
Supervisors and officers who retired after 01.01.2007 on superannuation after 15 years	
of service in CSL	
अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कामगार जो सीएसएल में 15 वर्षों की सेवा के बाद इस्तीफा दिए थे।	38,219.00
Officers, supervisors and workmen who resigned after 15 years of service in CSL	200 - 200 -

5. सभी योग्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों जो इस योजना में सदस्यता को नवीनीकृत करने के लिए इच्छुक हैं, से अनुरोध है कि वे दिनांक 26 अप्रैल से 06 मई 2019 तक के दौरान सीएसएल सरकारी वेबसाइट में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में नवीकरण केलिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें । नवीकरण प्रीमियम निम्निलिखित कदमों का प्रयोग करते हुए भुगतान कर सकते हैं। www.cochinshipyard.com/Related Links/Retirees corner में जाए और यूजर आईडी और पासवर्ड जो पहले ही दिया है, का प्रयोग करते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारी पोर्टल में लॉग ऑन करें। Insurance → Insurance Premium Collection का चयन करें। यह मौजूदा आश्रितों की सूची प्रदर्शित करेगी। यदि आवश्यक हो तो आश्रितों की सूची प्रविष्टियों को जोडते हुए और हटाते हुए संशोधित कर सकते हैं। आश्रितों की सूची में सभी क्षेत्र अनिवार्य है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों जिन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है, बीमा प्रीमियम नवीकृत करने केलिए कार्मिक एवं प्रशासन विभाग से वही प्राप्त करें।

All eligible retired employees desirous of renewing the membership in the scheme are requested to submit an online application for renewal in the prescribed form available at CSL official website during 26th April to 06th May 2019. The renewal premium can be paid using following steps. Go to www.cochinshipyard.com / Related Links / Retirees corner and log on to retired employees portal using user ID and password, which is already provided. Select Insurance \rightarrow Insurance Premium Collection. It will display existing dependants list. If required, the dependants list can be modified by adding and deleting entries. The fields in the dependants list are mandatory. Those retired employees who don't have user ID and Password may get the same from P&A department to renew the insurance premium.

आश्रितों की सूची की पुष्टीकरण पर बीमा प्रीमियम भुगतान करने केलिए निम्नलिखित दो विकल्प प्रदान किया जाता है।

On confirmation of dependants list, the following two options are provided to make the insurance premium payment.

a) <u>ऑनलाइन द्वारा प्रीमियम का भुगतान / Pay Premium Online</u>

सेवानिवृत्त कर्मचारियों जो ऑनलाइन द्वारा प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं, "Pay Premium" बटन पर क्लिक करें, जो आपकी योजना संबंधी विवरण देता है और बाद में "Proceed for Payment" पर क्लिक करें। यह लिंक स्वचालित रूप से भुगतान गेटवे की ओर ले जायेंगे, जहाँ विविध भुगतान विकल्पों का प्रयोग करते हुए आप राशि प्रेषित कर सकते हैं। भुगतान की सफल पूर्ति के बाद आप भुगतान रसीद की मुद्रित प्रति लें।

The retired employees who wish to pay premium online may click on "Pay Premium" button that navigates to your scheme details and then click on "Proceed for Payment". This link will be automatically redirected to payment gateway where you can remit the amount using various payment options. After successful completion of payment, you may take the print out of the payment receipt.

b) <u>सीएसएल में प्रीमियम का भुगतान / Pay Premium at CSL</u>

सेवानिवृत्त कर्मचारियों जो सीएसएल द्वारा सीधे प्रीमियम का भुगतान करना चाहते है, "Print Application Form" बटन पर क्लिक करते हुए कृपया मुद्रित प्रति लें और वही प्रेषित की जानेवाली प्रीमियम राशि के साथ सीएसएल के सेवानिवृत्त कर्मचारी सुविधा केंद्र में प्रस्तुत करें। भुगतान सीएसएल के पक्ष में आहरित डीडी/ चेक के रूप में स्वीकार किया

जाएगा। चेक प्राप्ति के अधीन है। दिनांक 26 अप्रैल, 2019 से 06 मई 2019 तक, पूर्वाहन 0900 बजे से और 1500 बजे (1200 बजे और 1300 बजे तक दोपहर के भोजन विराम) के बीच, रवीपुरम गेट के पास सीएसएल सेवानिवृत्त कर्मचारी सुविधा केंद्र पर उपलब्ध पीओएस मशीन पर स्वाइप करके डेबिट / क्रेडिट कार्ड के ज़िरए भुगतान किया जा सकता है।

Those retired employees who wish to pay premium directly through CSL may please take the print out by clicking "Print Application Form" button and submit the same at retired employees facilitation centre at CSL along with the premium amount to be remitted. Payment will be accepted by way of DD/Cheque drawn in favour of CSL. Cheques are subject to realization. Payment can also be made through Debit/Credit Card by swiping at the POS machine available at CSL Retired Employees Facilitation Centre near Ravipuram Gate from 26th. April 2019 to 06th May 2019 between 0900 Hrs and 1500 Hrs (1200 Hrs and 1300 Hrs lunch break).

6. कृपया ध्यान दें कि नकद लेनदेन पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे ऑनलाइन भुगतान विकल्प का उपयोग करें। योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया और कार्य अपरिवर्तनीय रहेगा। कृपया नोट करें कि पॉलिसी नवीकृत करने में विफल होने से योजना से स्वचालित निकास होगी और बाद में नवीकरण की अनुमति नहीं है।

Please note that due to restrictions imposed by the Government on cash transactions, no cash payment will be accepted by the Company in this regard. All retired employees are requested to make use of the online payment option. Procedure and practice of availing the benefits under the schemes would continue to remain unaltered. Kindly note that failure to renew the policy would entail automatic exit from the scheme and later renewal is not permitted.

7. आगे कोई स्पष्टीकरण और मार्ग-निर्देश केलिए कृपया दूरभाष: 0484 – 2501925 / 2501830 / 2501237 / 2501284 में संपर्क करें ।

For any further clarification and guidance, please contact Tel: 0484 - -2501925 / 2501830 / 2501237 / 2501284

(एम डी वर्गीस/M D Varghese)

मुख्य महा प्रबंधक (औ.सं. व प्र.)

Chief General Manager (IR&Admn)

सेवा में/To:

सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियां/ All Retired Employees सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के यूनियन और असोसिएशन All Unions and Associations of Retired Employees

प्रतिलिपि / Copy to:

'नि(वि) / नि(प्र) / नि(तक.) / मु.स.अ D(F) / D(O) / D(T) / CVO सभी मु.म.प्र/ म.प्र/ उ.म.प्र CGMs / GMs / DGMs स.अ /एसी(सीआईएसएफ) /V.O / AC (CISF)

ईमेल के ज़रिए/ Through E-mail

महा सचिव सीएसईओ /सीएसईएफ/ सीएसईयू/ एसईएस/ सीएसएसएसए/सीएसओए General Secretary CSEO / CSEF / CSEU / SES / CSSSA / CSOA